संख्या 3/न्याय–01–16/2017(खंड–I)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

638(3)

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

डा0 उदय चन्द्र मिश्र
(सेवा निवृत्त, अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना)
पता–क्लब रोड, पुपरी, जिला–सीतामढ़ी–843320

पटना, दिनांक : 25.10.17

विषयः अवमाननावाद संख्या 1674/2012 एवं समरूप वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में भुगतान हेतु वॉछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में दिनांक 26.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP(Civil) CC संख्या 24758–24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 243(3) दिनांक 22.05.2017 एवं 363(3) दिनांक 10.07.2017 द्वारा दी गई है।

आपके द्वारा उक्त विभागीय पत्र के आलोक में समर्पित शपथनामा को महालेखाकार, बिहार को भेजा गया तथा महालेखाकार द्वारा वेतन पर्ची संख्या–21081710089636 निर्गत कर दी गयी है, जो विभाग को प्राप्त भी हो चुका है। आपके द्वारा अभी तक प्राप्त पेंशन का बैंक विवरणी, कैंशिल चेक, PPO Copy, LPC Copy , PAN Card आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आपका वेतन भुगतान बाधित है।

अतः उक्त वॉछित कागजात एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे की आपके उक्त वेतन की भुगतान से संबंधित कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/–

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः 638(3) /स्वा0, पटना, दिनांकः 25.10.17

प्रतिलिपि : अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old System Data\New folder\2017\Latter & Order-2017.docx